

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर

पीठासीन अधिकारी-श्री श्याम सुन्दर चैतीवाल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या-12/08/2025

जीसीएमएस-2025/99

दायर दिनांक-15/04/2025

निर्णय दिनांक-30/10/2025

1. अमरसिंह पुत्र रामसहाय जाति जाट निवासी कांटबाडी तहसील कठूमर जिला अलवर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत सहाडी पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर।।

..... असल रेस्पोंडेंट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 05.07.2010 विरासत इन्तकाल संख्या 380
ग्राम विसली ग्राम पंचायत मथुराहेडा अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व
अधिनियम, 1956

उपस्थिति-1.श्री देवेन्द्र यादव अधिवक्ता अपीलाण्ट

-:: निर्णय ::-

संक्षेप में अपील विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरानम्बर 226, 227, 228, 235, 157, वाके ग्राम विसली ग्राम पंचायत मथुराहेडा तहसील कठूमर में स्थित है, जो अपीलान्ट मुताबिक जमाबन्दी अपीलाण्ट केहिस्से की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड आराजी है अपीलाण्ट के पिता पूरन के स्वर्गवास के वाद खातेदारी दर्ज कराने बावत पटवारी हल्का को दे दिया लेकिन पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट के नाम की जाँच किये बिना ही बिना अपीलाण्ट को बिना बुलाये बिना सुने विधि विरुद्ध तरीके से इन्तकाल संख्या 380 वाके ग्राम विसली तस्दीक किया है, जबकि अपीलाण्ट का नाम रिसपाल पुत्र के स्थान पर रिछपाल अंकित कर दिया। जिस गलत इन्तकाल को कानूनगो हल्का ने अपीलाण्ट को बिना बुलाये बिना सुने सही नाम की जाँच किये बिना ही दिनांक 19.06.2010 को इन्तकाल पर सही अंकन होना पाया अंकित कर दिया। जिस विरासत इन्तकाल को पटवारी हल्का ने दिनांक 05.07.2010 को रेस्पोंडेंट सरपंच ग्राम पंचायत मथुराहेडा के समक्ष बास्ते स्वीकृत पेश किया। जिस दोषपूर्ण इन्तकाल को ग्राम पंचायत ने बिना सुने बिना बुलाये अपीलाण्ट के सही नाम की जानकारी किये बिना जाँच किये बिना पहचान के दस्तावेत लिये बिना ही गैरकानूनी ढंग से अपीलाण्ट का नाम रिसपाल के स्थान पर रिछपाल नाम से स्वीकार कर दिया गया। जो विधि विरुद्ध तरीके से तस्दीक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 380 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.03.2025 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलान्ट ने इन्तकाल संख्या 380 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। आदेश दिनांक 05.10.2010 से दिनांक 24.03.2025 तक की देरी कण्डोन किये जाने का उचित कारण है जिस देरी को कण्डोन करने के लिये अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पत्रावली के साथ पेश किया गया है विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलांट्स को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट पेश कर इन्तकाल संख्या 380 दिनांक 05.07.2010 वाके ग्राम विसली पंचायत मथुराहेडा तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

अपीलांट को उक्त दोषपूर्ण इन्तकाल संख्या 380 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.03.2025 को पटवारी हल्का से राजस्व रेकॉर्ड देखने के दौरान एवं रिर्कोर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलांट ने इन्तकाल संख्या 380 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। ऐसे मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी में नरमी का रूख अपनाया है। हस्तगत प्रकरण में अपील में देरी के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में दफा 5 स्वीकार होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोंडेंट दिनांक 28.07.2025 का वाबजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना के अनुपस्थित आये जिनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। अपीलांट्स के द्वारा अपने पत्रावली के साथ नकल इन्तकाल संख्या 380 वाके ग्राम विसली पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये है।

अपीलांट अभिभाषक की अपील पर बहस सुनी गयी। अपीलांट के पिता पूरन के स्वर्गवास के बाद खातेदारी दर्ज कराने बावत पटवारी हल्का को दे दिया लेकिन पटवारी हल्का ने अपीलांट के नाम की जाँच किये बिना ही बिना अपीलांट को बिना बुलाये बिना सुने विधि विरुद्ध तरीके से इन्तकाल संख्या 380 वाके ग्राम विसली तस्दीक किया है, जबकि अपीलांट का नाम रिसपाल पुत्र के स्थान पर रिछपाल अंकित कर दिया। जिस गलत इंतकाल को कानूनगो हल्का ने अपीलांट को बिना बुलाये बिना सुने सही नाम की जाँच किये बिना ही दिनांक 19.06.2010 को इन्तकाल पर सही अंकन होना पाया अंकित कर दिया। जिस विरासत इन्तकाल को पटवारी हल्का ने दिनांक 05.07.2010 को रेस्पोंडेंट सरपंच ग्राम पंचायत मथुराहेडा के समक्ष बास्ते स्वीकृत पेश किया। जिस दोषपूर्ण इन्तकाल को ग्राम पंचायत ने बिना सुने बिना बुलाये अपीलांट के सही नाम की जानकारी किये बिना जाँच किये बिना पहचान के दस्तावेज लिये बिना ही गैरकानूनी ढंग से अपीलांट का नाम रिसपाल के स्थान पर रिछपाल नाम से स्वीकार कर दिया गया। जो विधि विरुद्ध तरीके से तस्दीक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट को उक्त इन्तकाल संख्या 380 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.03.2025 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिर्कोर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलांट ने इन्तकाल संख्या 380 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। आदेश दिनांक 05.10.2010 से दिनांक 24.03.2025 तक की देरी कण्डोन किये जाने का उचित कारण है जिस देरी को कण्डोन करने के लिये अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पत्रावली के साथ पेश किया गया है विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलांट्स

उपसंहार अधिकारी
कठूमर (अजमेर) राज०

को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 380 दिनांक 05.07.2010 वाके ग्राम विसली पंचायत मथुराहेडा तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

हमने अपीलान्टस अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलान्ट अधिवक्ता बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात के आधार पर इन्तकाल संख्या 380 दिनांक 05.07.2025 वाके विसली ग्राम पंचायत मथुराहेडा तहसील कठूमर, अलवर निरस्त किये जाने एवं अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

--:आदेश:-

अतः अपीलान्ट अधिवक्ता बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत स्वीकृत इंतकाल संख्या 380 दिनांक 05.07.2010 वाके ग्राम विसली ग्राम पंचायत मथुराहेडा को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कठूमर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवेल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर, अलवर

कठूमर (अलवर)